

# #1 खनिज मुनाफा बँटवारा

## ( खनिज मुनाफा सीधे नागरिकों के खातों में भेजने का प्रस्ताव )

यह कानून खनिजों की लूट रोकने के लिए लिखा गया है। इस प्रस्तावित कानून को देश में लागू करने के लिए संसद से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते हैं। इस प्रस्तावित कानून में कुल 22 धाराएं हैं। निचे इस प्रस्तावित कानून के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। हेड कोड : **#KhamBa #खम्बा**

- (1) इस कानून के गेजेट में छपने के बाद देश के समस्त खनिज एवं सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी/मुनाफा एवं किराया **135 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाता** नामक बैंक खाते में जमा होगा। इकट्ठा हुयी इस राशि का 65% हिस्सा सभी भारतीयों में बराबर बँटगा और 35% सेना को मजबूत बनाने में खर्च होगा।
  - इस समय खनिज रॉयल्टी का पैसा सरकार के पास जाता है, और सरकार इसे अपने विवेक से खर्च करती है। खनिज, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन देश के नागरिकों की संपत्ति है, न कि सरकार की। सरकार की आय टेक्स है और सरकार को अपना खर्चा सिर्फ टेक्स से निकालना चाहिए। अतः देश के खनिजों की बिक्री से आने वाला पैसा हर महीने सभी नागरिकों में बराबर बांटा जाना चाहिए।
- (2) खनिजों की नीलामी करके पैसा इकट्ठा करने वाला राष्ट्रिय खनिज रॉयल्टी अधिकारी वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा। यदि खनिज अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो नागरिक वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे बदलने के लिए स्वीकृति दे सकेंगे।
  - मौजूदा व्यवस्था में खनिज अधिकारी की नियुक्ति एवं निष्कासन सरकार के हाथ में होने के कारण खनन माफिया सत्ताधारी नेताओं एवं अधिकारियों के साथ गठजोड़ बनाकर खनिजों को बड़े पैमाने पर लूट रहे हैं। दरअसल खोदे जा रहे खनिज का लगभग 20% हिस्सा ही रिकॉर्ड पर आता है, एवं शेष 80% उपरोक्त गठजोड़ द्वारा अवैध खनन के रूप में लूट लिया जाता है। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए खनिज अधिकारी को वोट वापसी पासबुक के दायरे में किया गया है।
- (3) यदि खनिज अधिकारी या उसके स्टाफ के खिलाफ घपले आदि की कोई शिकायत आती है तो सुनवाई करने और दंड देने की शक्ति सरकार के आदमी (जज आदि) के पास न होकर नागरिक समूह (जुरी मंडल) के पास रहेगी। जुरी मंडल में 12 से 1500 तक जुरी सदस्य हो सकेंगे। प्रत्येक मामले के लिए अलग जुरी होगी और फैसला देने के बाद जुरी भंग हो जायेगी। जुरी सिस्टम खनन माफिया एवं जजों के गठजोड़ को तोड़ देगा।

खनन के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक भारतीय को प्रति माह लगभग 3000 रु तक राशि प्राप्त हो सकती है। खनिजों एवं जमीनों का बाजार भाव बढ़ने या घटने के साथ यह राशि घट या बढ़ सकती है। जुरी मंडल कैसे काम करेगा एवं वोट वापसी की प्रक्रिया क्या होगी आदि के विवरण के लिए खनिज मुनाफा बँटवारा कानून का पूरा ड्राफ्ट दिए गए QR कोड से डाउनलोड करें या इस लिंक पर जाएं – [Tinyurl.com/Khamba2](https://Tinyurl.com/Khamba2)

